

>

Title: Need to provide Indian citizenship to the person displaced from Pakistan in Bikaner Parliamentary Constituency of Rajasthan.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदय, आपने मुझे शून्यकाल के दौरान बहुत ही लोकमहत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। मेरे संसदीय क्षेत्र के खाजूवाला, अनूपगढ़ और श्रीकोलाइत आदि स्थानों पर बड़ी संख्या में पाक विस्थापित नागरिक रहते हैं। ये वे नागरिक हैं, जो पाकिस्तान से भारत में किन्हीं कारणों से आए, जैसे युद्ध के दौरान और कुछ पासपोर्ट के द्वारा भी आए, लेकिन वे पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं और भारत में रहना चाहते हैं और वर्षों से रह रहे हैं। मेरे क्षेत्र में पाक विस्थापित लोग करीब 15-20 सालों से रह रहे हैं और कोई 30 या 40 सालों से रह रहा है और कुछ ऐसे हैं जो पचास साल से रह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वे अभी भी पाक विस्थापित कहलाते हैं और नागरिकता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, राशनकार्ड के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बीपीएल कार्ड के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इंदिरा आवास योजना का लाभ उन्हें नहीं मिलता है और वे जिस जगह खेती करते हैं, लैंड एलाटमेंट के कागजों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पाक विस्थापित नागरिक स्थायी रूप से बसने के इरादे से भारत में आए थे। भारत सरकार द्वारा उन्हें नागरिकता नहीं देना, उनके जीवन के अधिकार के साथ खिलवाड़ है और भारतीय संविधान की मूल भावना के भी विपरीत है। पाक विस्थापित लोगों के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा कई बार जांच करवाई जा चुकी है। सभी स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मानवीय आधार पर भारतीय नागरिकता प्रदान करने की सिफारिश भी की है, फिर भी गृह मंत्रालय नागरिकता के मामले पर कोई निर्णय नहीं कर रहा है। ऐसे कई प्रकार के राजस्थान में हैं, हरियाणा के सिरसा जिले से भी हैं, जो गृह मंत्रालय को प्रेषित किए जा चुके हैं। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से मांग करता हूँ कि पाक विस्थापितों के लिए गृह मंत्रालय के स्तर पर एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाए, जिसमें पाक विस्थापितों से संबंधित संगठनों एवं सांसदों को आमंत्रित किया जाए और इस समस्या का निराकरण किया जाना चाहिए। यह मानवीय पहलू के साथ-साथ भारत में आने वाले लोग जो भारतीय भावना में आस्था रखते हैं, इसलिए इस मामले का हल शीघ्रता से होना चाहिए।